



Neutral Citation No - 2026:AHC:16440

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 762/2026

परसादी सिंह एवं 18 अन्य

..... याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) की ओर से अधिवक्ता : शिवेन्द्र कुमार गुप्ता

प्रत्यर्थी (गण) की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवेन्द्र कुमार गुप्ता और राज्य के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ताओं का पक्ष यह है कि वे सभी सिविल पुलिस में कांस्टेबल के रूप में तैनात हैं और 19 साल की सेवा प्रदान की है। रिट याचिकाकर्ताओं का दावा यह है कि वे उन लाभों के हकदार हैं जो 2012 की रिट याचिका संख्या 44330 (घनश्याम तिवारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) और उस पर जारी किए गए शासकीय आदेशों में रिट याचिकाकर्ताओं को दिए गए थे। निवेदन यह है कि उन्होंने 19 वर्ष से अधिक की सेवा प्रदान की है, इस प्रकार, वे दिनांक 02.12.2020 के शासकीय आदेश के अनुसार एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि प्रदान करने के हकदार हैं।
3. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने **2012 की सिविल विविध रिट याचिका संख्या 44330 (घनश्याम तिवारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य)** में पारित दिनांक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



07.09.2012 के फैसले के साथ-साथ इसी तरह की याचिका जो **2018 की रिट ए संख्या 6429 (दिनेश कुमार शुक्ला और 14 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य)** पर 22.02.2018 को निर्णय लिया गया था। दिनांक 22.02.2018 के आदेश को इस न्यायालय के अध्याय VIII नियम 5 के तहत इंट्रा कोर्ट अपील के समक्ष चुनौती दी गई है और इसे दिनांक 07.09.2016 के निर्णय और आदेश के माध्यम से तय किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं के दावे को **2012 की सिविल विविध रिट याचिका संख्या 44330 (घनश्याम तिवारी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य)** में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 07.09.2012 के अनुसरण में उचित ठहराया गया था।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निस्तारण प्रतिवादी संख्या 2, पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रतिष्ठान, पी.एच.क्यू. लखनऊ को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त हस्तक्षेप करने वाले तथ्यों के आलोक में उचित निर्णय लेने का निर्देश देते हुए किया गया है।

22 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)